Need to amend Juvenile Justice Act, 2015 in the wake of heinous crimes being committed by juveniles in the country

श्री विवेक ठाकुर (बिहार): आदरणीय उपसभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय के संदर्भ में आकर्षित करना चाहूंगा, जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, 2015 से संबंधित है। उपसभापति महोदय, वर्ष 2014 में आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के पश्चात निर्भया गैंग रेप जैसी वीभत्स घटना के कारण 2015 में एक नया कानून जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, 2015 लाया गया, जो स्वागत योग्य रहा, जिसमें क्राइम को तीन कैटेगरीज़ में बांटा गया - माइनर, सीरियस एवं हीनस, जिसमें जुवेनाइल जो 16 से 18 के बीच हैं और अगर वे हीनस क्राइम करते हैं, तो उन्हें एडल्ट मानते हुए, उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। महोदय, मैं वर्ष 2020 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का जिक्र करना चाहूंगा, जिसमें भारत सरकार द्वारा 2015 में लाए गए मूल कानून के सेक्शन 2, क्लॉज़ 33 में वह अपराध जिसमें सात वर्ष से अधिक की सज़ा थी, उन्हें हीनस क्राइम की कैटेगरी में रखा गया था, परंतु सुप्रीम कोर्ट के 2020 के जजमेंट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह कहा गया कि जिन अपराधों में सात वर्ष से अधिक सज़ा का प्रावधान है, परंतु जिनमें कोई मिनिमम पनिशमेंट का प्रावधान नहीं है अथवा सात वर्ष से कम मिनिमम पनिशमेंट का प्रावधान है, उन्हें हीनस क्राइम्स में नहीं गिना जा सकता है। इसी कारण भारत सरकार को 2021 में कानून में संशोधन करना पड़ा। इस संशोधन से कई हीनस क्राइम्स में जुवेनाइल क्रिमिनल्स बिना सज़ा पाए ही छूट रहे हैं। उदाहरण स्वरूप 2020 में जिस अपराध में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उसमें अपराधी आईपीसी सेक्शन 304 में कल्पेबल होमिसाइड का दोषी था, जिसमें दस वर्ष से अधिक सज़ा का प्रावधान था, परंतु सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के कारण आईपीसी 304 में कोई मिनिमम पनिशमेंट का प्रावधान न होने से, उस पर एडल्ट के रूप में मुकदमा नहीं चला। इसलिए यह बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि सिर्फ मिनिमम पनिशमेंट का प्रावधान न होने से, हीनस क्राइम करके भी जुवेनाइल अपराधी राहत प्राप्त कर रहे हैं। हाल ही में कठुआ गैंग रेप केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में यह ऑब्ज़र्वेशन दी कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में संशोधन की आवश्यकता है, क्योंकि कई जुवेनाइल क्रिमिनल्स हीनस क्राइम में राहत प्राप्त कर रहे हैं। चाहे जामताड़ा का ऑनलाइन फ्रॉड हो या डार्क नेट के माध्यम से ड्रग पैडलिंग हो, रेप्स हों, शूटआउट्स हों, इन सभी में अधिकांश रूप से देखा गया है कि 18 वर्ष से कम जुवेनाइल्स का क्रिमिनल गैंग्ज़ या इंटरनेशनल सिंडिकेट्स, क्राइम के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए विभिन्न देशों में जुवेनाइल को एडल्ट मानते हुए केस चलाने की उम्र बेहद कम रखी गई है।

उपसभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा सदन एवं सरकार से आग्रह है कि जल्द से जल्द इस कानून में संशोधन लाया जाए, जिससे जुवेनाइल्स द्वारा होने वाले अपराधों में भी कन्विक्शन रेट में बढ़ोतरी हो और अपराधियों को सज़ा मिल सके।

SHRI R. GIRIRAJAN (Tamil Nadu): Sir, I associate myself with the submission made by the hon. Member.

SHRI P. WILSON (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

SHRI SUJEET KUMAR (Odisha): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR (Andhra Pradesh): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

श्रीमती संगीता यादव (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करती हूं।

श्री कामाख्या प्रसाद तासा (असम): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्री धनंजय भीमराव महादिक (महाराष्ट्र): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

Need to address the problems being faced by the goldsmith community

श्री रामचंद्र जांगड़ा (हरियाणा): उपसभापति महोदय, मैं स्वर्णकार (शिल्पकार) समाज की अनदेखी और बढ़ती हुआ बदहाली पर आपके माध्यम से सरकार और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मान्यवर, भारत का स्वर्णकार समाज देश का प्रतिष्ठित व कुशल कारीगर समाज माना जाता है। भारत के स्वर्णकार ने अपने हस्त कौशल से पूरे विश्व को अपनी कारीगरी का लोहा मनवाया है। वर्ष 1968 में गोल्ड कंट्रोल एक्ट आने से पहले देश के सवा करोड़ लोग खुशहाली और प्रतिष्ठा का जीवन जी रहे थे। इसके बाद इनके आर्थिक पतन की शुरुआत हुई, यद्यपि इसकी शुरुआत 1962 में गोल्ड कंट्रोल एक्ट के द्वारा ही हो गई थी, जिसके माध्यम से सोने के व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया गया था। 1963 में 14 कैरेट से अधिक सोने के जेवर बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और 1968 में सोने को सिक्कों व छड़ों के रूप में रखना प्रतिबंधित कर दिया गया। सोने को जेवर के रूप में केवल 100 ग्राम की सीमा तक रखने के लिए सीमित कर दिया गया। बड़े